



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-729

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 325385 दिनांक 15/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Suman Kumari Meena W/o Ramesh chand meena एवं Guddi Meena W/o RAJESH KUMAR MEENA	श्रीमती नैना बड़ाया पत्नी श्री संजय बड़ाया	64	166.66 SQ. YARD	Private	SOUTH AVENUE B	Name Transfer	आवेदिकागण 1. श्रीमती सुमन कुमारी मीना पत्नी श्री रमेश चन्द मीना 2. श्रीमती गुड्डी मीना पत्नी श्री राजेश कुमार मीना द्वारा निजी खातेदारी की योजना साउथ एवेन्यू-बी ग्राम- खो-नागोरियान के भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. की लीजडीड दिनांक 10.10.2012 को श्रीमती नैना बड़ाया पत्नी श्री संजय बड़ाया के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								श्रीमती नैना बड़ाया पत्नी श्री संजय बड़ाया द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2015 को श्री रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. को श्री रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2023 को श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री प्रेम नारायण को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. को श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री प्रेम नारायण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2024 को 1. श्रीमती सुमन कुमारी मीना पत्नी श्री रमेश चन्द मीना 2. श्रीमती गुड्डी मीना पत्नी श्री राजेश कुमार मीना को बेचान किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Suman Kumari Meena W/o Ramesh chand meena एवं Guddi Meena W/o RAJESH KUMAR MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।